new vehicle of the same class, purchased in the name of the present owner of such former vehicle, on payment of an amount equal to the final bid amount or rupees fifteen thousand, whichever is higher. The vehicle owner shall have to scrap such previous vehicle and get its registration number cancelled. The registration number once transferred shall not be transferred again on another vehicle.".

क्र. एफ 22-47-2021-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 और धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994, जिसका प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 19 फरवरी 2021 को पूर्व में किया जा चुका है, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 55 में, उपनियम (2) में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थातु:--

- ''(ठ) यदि किसी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में, वाहन की किसी श्रेणी के लिए नवीन पंजीयन श्रृंखला प्रारंभ होने की तारीख से, एक वर्ष के भीतर, कम से कम दस बार नीलामी प्रक्रिया चक्र में सम्मिलित किए जाने के पश्चात् भी पंजीयन नंबर नीलाम नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे नंबर नीलामी नंबर सूची से ''विशिष्ट पसंद नम्बर'' सूची में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे.
- ''विशिष्ट पसंद नंबर'' की सूची सार्वजनिक अनुक्षेत्र में उपलब्ध होगी तथा परिवहन विभाग के पोर्टल पर तथा वेब आधारित डीलर पाइंट नामांकन प्रणाली के अधीन सदैव प्रदर्शित की जाएगी.
- ''विशिष्ट पसंद नंबर'' की सूची में से वाहन की किसी श्रेणी के लिए कोई पंजीयन नंबर ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर, वेब आधारित डीलर पाइंट नामांकन प्रणाली के माध्यम से पंजीयन हेतु मोटरयान के नामांकन के समय, ऑनलाईन पेमेंट गेटवे का उपयोग करते हुए रुपये 7000/- जमा करने पर, प्राप्त किया जा सकता है,''.

No. F. 22-47-2021-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 65 and 211 of Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 19th February, 2021 as required by sub-section (1) Section 212, of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, In rule 55, in sub-rule (2), after clause (K), the following clause shall be inserted, namely:-----

- "(L) If within one year, from the date of commencement of new registration series, for any category of vehicle, in any RTO office, the registration numbers are not auctioned, even after being included in auction process cycle for at least ten times, then such numbers shall be transferred from auction number list to "Special Choice Number" list.
- List of "Special Choice Numbers" shall be available in Public Domain and shall always be displayed on Transport Department Portal and under Web based Dealer Point Enrollment System.
- From the list of "Special Choice Numbers" any registration number can be obtained, for any category of vehicle, on the vasis of "First come first serve" system, on depositing Rs. 7000/- using online payment gateway, at the time of enrollment of Motor vehicle for registration through Web based Dealer Point Engrollment Systes.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **श्वेता पवार,** उपसचिव.